न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजि.मालाखेड़ा, जिला अलवर (राज.)
पीठासीन अधिकारीः- आरुष त्रिपाठी, आर जे एस
दीवानी प्रकरण संख्या- 34/50/2016

1- पूर्ण पुत्र घीसा जाति वाल्मिकि हरिजन मेहतर, निवासी बीजवाड, तहसील मालाखेडा जिला अलवर

2/1 मैना बेवा किशोर जाति वाल्मिकि हरिजन मेहतर
2/2 बाबूलाल पुत्र किशोर, जाति वाल्मिकि हरिजन मेहतर
2/3 प्रहलाद पुत्र किशोर जाति वाल्मिकि हरिजन मेहतर निवासीयान सी-37 कृष्णा विहार, सिरसी रोड, तेजाजी मंदिर के पास पंच्चयावाला जयपुर
2/4 सोनू पुत्री किशोर पत्नी राकेश
2/5 रूकमणी पुत्री किशोर पत्नी मनोज
2/6 कविता पुत्री किशोर पत्नी मनोज
2/7 सुनीता रूकमणी पुत्रीर किशोर पत्नी अनिल निवासीयान आदेश नवल बस्ती हसनपुर ए, जयपुर राज

.....वादीगण

बनाम

लीला पुत्र घीसा जाति वाल्मिक हरिजन मेहतर निवासी ग्राम बीजवाड तहसील मालाखेडा जिला अलवर राजस्थान।

..... प्रतिवादी

दावा बाबत तकमील मुहायदा बय व हुक्म इम्तनार्इ दवामी

उपस्थितिः-

1-श्रीमती सुषमा सर्राफ एवं श्री बी.आर. सैनी, विद्वान अधिवक्ता वादीगण की ओर से।
2- श्री गुड्डी नायक, विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी की आेर से।

निर्णय दिनांकः- 29-04-2026

इस निर्णय के द्वारा वादीगण के द्वारा प्रस्तुत वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादी बाबत तकमील मुहायदा बय व हुक्म इम्तनार्इ दवामी का निस्तारण किया जा रहा है। वादपत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खसरा नंबर 700 रकबा 14 बीघा 1 बिस्वा 701 रकबा 7 बिस्वा, 702 रकबा 2 बिस्वा कूल किता 3 जिनके हाल

खसरा नंबर 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1746, 1747, 1748 कुल किता 16 रकबा 3 हैक्टर 92 एेयर वाके ग्राम बीजवाड तहसील मालाखेडा जिला अलवर में स्थित है जिसका 1/4 भाग जो प्रतिवादी के नाम है विवादित कहलावेगा। वादी व प्रतिवादी चार भार्इ है धनना, लीला, पूरण एवं किशोर पुत्रान घीसा है। वादीगण के भार्इ लीला प्रतिवादी को पैसों की आवश्यकता थी इसलिये प्रतिवादी ने अपने 1/4 हिस्से की कब्जे काश्त की आराजी को वादीगण को कुल 32000/- रूपये शब्देन बत्तीस हजार रूपये में चुकता रकम लेकर बेचान कर दिया आैर कब्जा पूर्ण व किशोर वादीगण का मौके पर करा दिया। इकरारनामा दिनांक 17-05-91 प्रतिवादीगण के पिता घीसा ने वादीगण के नाम राजीखुशी व अपनी पूर्ण सहमति से राजस्व रिकार्ड में घीसा का नाम होने के कारण प्रतिवादी ने 1/4 हिस्से का बेचान प्रतिवादी को पैसो की आवश्यकता होने के कारण प्रतिवादी की सहमति से किया था। प्रतिवादी वादीगण द्वारा बार-बार कहने पर भी विवादित आराजी का बेयनामा वादीगण के हक में तहरीर व तकमील नहीं करा रहा है आैर प्रतिवादी विवादित आराजी को दीगर लोगों को रहन बय हिबा करने की जुस्तजू में है तथा विवादित आराजी पर जबरन कब्जा करना चाहता है आैर वादीगण को काश्त नहीं करने देता है। अतः प्रार्थना है कि दावा वादीगण बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावेः-

1- डिक्री बाबत तकमील मुहायदा बय बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी सादिर फरमायी जाकर विवादित आराजी खसरा नंबर 700 रकबा 14 बीघा 1 बिस्वा 701 रकबा 7 बिस्वा, 702 रकबा 2 बिस्वा कूल किता 3 जिनके हाल खसरा नंबर 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1746, 1747, 1748 कुल किता 16 रकबा 3 हैक्टर 92 एेयर वाके ग्राम बीजवाड तहसील मालाखेडा जिला अलवर के 1/4 हिस्से की आराजी का बयनामा प्रतिवादी से वादीगण के हक में कराया जावे आैर अगर प्रतिवादी स्वयं बयनामा नहीं कराता है तो अदालत के द्वारा बयनामा तस्दीक कराया जावे।

2- डिक्री हुक्म इम्तनार्इ दवामी बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी सादिर फरमायी जाकर प्रतिवादी को जरिये स्थार्इ निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावे कि वो विवादित आराजी मुतजिकरा पेरा नम्बर एक आराजी दावा वाके ग्राम बीजवाड तहसील मालाखेडा जिला अलवर को कहीं पर रहन बय हिबा न करे आैर वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की रूकावट व मजाहमत न करे व इस आराजी पर जबरन कब्जा न करें व एेसा करने से बाज आवे।

3- खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।
4- जो अन्य उचित आज्ञा न्यायसंगत हो प्रदान की जावे।

2. प्रतिवादी ने जवाब दावा प्रस्तुत किया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रतिवादी ने वादीगण से कोई इकरारनामा मुहायदा बैय किया ही नहीं तथा ना ही प्रतिवादी ने वादीगण से उक्त सौदे के मद्दे कोई रकम प्राप्त की। इकरारनामा में प्रतिवादी ना तो क्रेता है ना ही विक्रेता। अतः प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का दावा मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

3. दिनांक 21-12-2015 को वादपत्र, जवाब दावा के आधार पर निम्न तनकीयात विरचित की गई।

1. आया वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी इस आशय की तकमी मुहायदा की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है कि विवादित आराजी जिसका विवरण वादपत्र के चरण संख्या 1 में अंकित किया हुआ है, कुल किता 16 रकबा 3 हैक्टर 92 एयर वाके ग्राम बीजवाड, तहसील मालाखेडा, जिला अलवर के 1/4 हिस्से की आराजी का बैयनामा प्रतिवादी, वादीगण के हक में निष्पादित करवाए और यदि प्रतिवादी स्वयं बैयनामा निष्पादित नहीं कराता है तो अदालत द्वारा बैयनामा तस्दीक कराया जावे ?

-वादी

2- आया वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है कि प्रतिवादी विवादित आराजी मुतजिकरा पैरा नंबर 1 अर्जीदावा वाके ग्राम बीजवाड, तहसील मालाखेडा, जिला अलवर को कही पर रहन, बैय व हिबा न करे और वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की रूकावट व मजाहमत न करे व इस आराजी पर जबरन कब्जा न करें ?

-वादी

3- आया कथित इकरारनामा प्रतिवादी द्वारा तहरीर व तकमील नहीं किया गया है इसलिए वादीगण का वाद चलने योग्य नहीं है ?

-प्रतिवादी

4- अनुतोष ?

4. साक्ष्य वादी में गवाह पी डबल्यू 01 पूर्ण, पी डब्ल्यू 02 मैना देवी, पी डब्ल्यू 03 रूकमणी देवी की साक्ष्य लेखबद्ध की गई तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 इकरारनामा को प्रदर्शित करवाया।

5. साक्ष्य प्रतिवादी में गवाह डी डबल्यू 01 लीला, डी डबल्यू 02 पप्पू खां, डी डबल्यू 03 तैयब, को परीक्षित करवाया गया है।

6. बहस उभयपक्षकारान सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7. उक्त के संबंध में साक्ष्य वादी का अवलोकन करें तो साक्ष्य वादी में परीक्षित समस्त गवाहों ने अपने शपथ पत्र में मुख्यतः वाद पत्र में अंकित तथ्यों को ही दोहराया है।

8. प्रकरण में साक्ष्य प्रतिवादी का अवलोकन करें तो साक्ष्य प्रतिवादी में गवाह लीला डी डबल्यू 01 अपने सशपथ में जवाब दावा में अंकित तथ्यों को दोहराता है इसके अतिरिक्त कथन करता है कि वादीगण द्वारा वाद पत्र में जो इकरारनामा पेश किया गया है वो प्रतिवादी द्वारा ना तो तहरीर व तकमील किया गया है बल्कि उक्त इकरारनामा वादीगण व प्रतिवादी के पिता द्वारा अपने जीवनकाल में दिनांक 17-05-1991 को तहरीर व तकमील किया गया था जिसमें प्रतिवादी ना तो क्रेता है आैर ना ही विक्रेता है।

9. प्रतिवादी साक्ष्य में परीक्षित अन्य गवाह डी डब्ल्यू 02 पप्पू खां एवं डी डब्ल्यू 03 तैयब अपनी साक्ष्य में जवाब वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्यतः यह कथन करते हैं कि विवादित आराजीयात उसने देखी है तथा वाद में विवादित आराजी पर आज भी मौके पर प्रतिवादी काबिज दाखिल चला आ रहा है तथा उसका ही कब्जा है। वादीगण द्वारा वाद पत्र में जो इकरारनामा पेश किया गया है वो प्रतिवादी द्वारा ना तो तहरीर व तकमील किया गया है। वादी का प्रतिवादी की आराजी से किसी प्रकार का कोई लेना-देना व वास्ता सरोकार किसी प्रकार का नहीं है तथा ना ही वादी कभी भी विवादित आराजी पर काबिज रहा है।

10. बहस उभयपक्षकारान सुनी गयी। पत्रावली एवं पेशशुदा न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अवलोकन किया गया।

11. अधिवक्ता वादी ने दौराने बहस वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अतिरिक्त रूप से यह तर्क दिया कि वादी द्वारा प्रदर्श 01 को पूर्ण रूप से साबित किया गया है। उक्त इकरारनामे का अस्तित्व प्रतिवादी द्वारा स्वीकार किया गया

है। प्रतिवादी से हुयी जिरह में यह स्वीकृत है कि परिवार में बटवारा हो चुका था। इकरारनामा के वक्त विवादित जायदाद पक्षकार के पिता के नाम थी। इस कारण से उन्होंने ही प्रदर्श 01 लिखवाया। धारा 7 संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत वादीगण का हक बनता है। अंत में वादी का वाद पत्र स्वीकार किए जाने का निवेदन करा। अपनी बहस के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश करेंः-
1- Nagindas Ramdas Vs. Dalpatram Ichharam @ Brijram And ors.

12. अधिवक्ता प्रतिवादी ने जवाब दावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अतिरिक्त रूप से यह तर्क दिया कि घीसाराम के चार वारिस थे। घीसाराम ने इकरारनामा लिखा। घीसाराम ने प्रतिवादी का हिस्सा किस अधिकार के तहत बेचा यह स्पष्ट नहीं है। जो हिस्सा प्रतिवादी के नाम नहीं आया है वह पूर्व में कोई कैसे बेच सकता है। प्रदर्श 01 पर वादी के हस्ताक्षर नहीं है एवं किशोर का नाम जगह-जगह जोडा गया है उसमें भी लघु हस्ताक्षर नहीं है। प्रदर्श 01 में अंकित गवाहों को प्रदर्शित नहीं करवाया है। परिवार में बटवारा नहीं हुआ था। आज दिनांक को जमाबंदी में पक्षकार के पिताजी के सारे वारिस खातेदार दर्ज है। प्रतिवादी ना तो क्रेता है ना ही विक्रेता। अंत में वादी का वादपत्र खारिज किए जाने का निवेदन करा।

13. न्यायालय का प्रत्येक तनकी वार विवेचन निम्नानुसार है। विवाघक संख्या 01 एवं 03 आपस में संबंधित होने से उनका विवेचन सुविधा की दृष्टि से समेकित रूप से किया जा रहा है।

14. विवाद्यक संख्या 01
आया वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी इस आशय की तकमी मुहायदा की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है कि विवादित आराजी जिसका विवरण वादपत्र के चरण संख्या 1 में अंकित किया हुआ है, कुल किता 16 रकबा 3 हैक्टर 92 एेयर वाके ग्राम बीजवाड, तहसील मालाखेडा, जिला अलवर के 1/4 हिस्से की आराजी का बैयनामा प्रतिवादी, वादीगण के हक में निष्पादित करवाए आैर यदि प्रतिवादी स्वयं बैयनामा निष्पादित नहीं कराता है तो अदालत द्वारा बैयनामा तस्दीक कराया जावे ?

विवाद्यक संख्या 03
आया कथित इकरारनामा प्रतिवादी द्वारा तहरीर व तकमील नहीं किया गया है इसलिए वादीगण का वाद चलने योग्य नहीं है ?

15. तनकी संख्या 01 को साबित करने का भार वादी पर है एवं तनकी संख्या 03 को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। उपरोक्त तनकी संख्या 01 को साबित करने के लिए वादी को संभावनाआें की प्रबलता की हद तक यह साबित करना अनिवार्य था कि पक्षकार के मध्य प्रदर्श 01 इकरारनामा दिनांकित 17-05-1991 वैध रूप से निष्पादित हुआ तथा आज दिनांक तक उक्त इकरारनामा प्रभावी है। उपरोक्त के लिए वादी पूरण पी डब्ल्यू 01 के रूप में परीक्षित हुआ है जिसने अपने मुख्य परीक्षण में वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया है एवं प्रदर्श 01 इकरारनामा प्रदर्शित करवाया है। तकमील मुहायदा बय के दावे में वादी को उपरोक्त अनुसार यह साबित करना था कि वादी व प्रतिवादी के मध्य प्रदर्श 01 वैध रूप से निष्पादित हुआ था। वादी अपने वादपत्र में यह अंकित करता हुआ आता है कि वादीगण के भार्इ लीला प्रतिवादी को पैसों की आवश्यकता थी इसलिए उसने अपने 1/4 हिस्से की कब्जे काश्त की आराजी को वादीगण को कुल 32000 रूपये में बेचान कर दिया। विवादित जायदाद वादी व प्रतिवादी के पिता घीसा के नाम दर्ज रिकार्ड होने के कारण तथाकथित इकरारनामा घीसा ने वादीगण के पक्ष में प्रतिवादी लीला के कहने पर किया। इस स्तर पर प्रदर्श 01 का अवलोकन करे तो यह जाहिर आता है कि उस पर कहीं पर भी वादीगण के हस्ताक्षर मौजूद नहीं है। उस पर केवल मात्र मार्क ए पर वादीगण व प्रतिवादी के पिता घीसा की अंगूठा निशानी है व मार्क बी पर प्रतिवादी लीला की अंगूठा निशानी है। उपरोक्त इकरारनामे का अवलोकन करें तो यह जाहिर आता है कि घीसाराम द्वारा अपनी सम्पत्ति का बटवारा करके प्रतिवादी लीला का हिस्सा वादीगण के नाम कर दिया जिसके लिए प्रतिवादी लीला को 32000 रूपये दिलवाये। यह गौरतलब है कि इकरारनामा पर कहीं पर भी वादीगण के हस्ताक्षर नहीं है ना ही वह पक्षकार है। तो एेसी परिस्थिति में न्यायालय के विनम्र मत में वादीगण का दावा करने की हैसियत पर संदेह उत्पन्न होता है क्योंकि जब वादीगण प्रदर्श 01 इकरारनामा में पक्षकार ही नहीं है तो वह किस तरह हस्तगत दावा पेश कर सकते हैं। यदि तार्किक रूप से मान भी लिया जाए कि वह इकरारनामे में पक्षकार है क्योंकि उनको प्रतिवादी लीला का हिस्सा खरीद करना अंकित है, परंतु तब भी वादीगण को अपने हस्ताक्षर उपरोक्त दस्तावेज पर साबित किया जाना अनिवार्य था। प्रकरण में निर्विवादित स्थिति यह है कि वादीगण के प्रदर्श 01 इकरारनामा पर कहीं पर भी हस्ताक्षर नहीं है। परिणामस्वरूप न्यायालय इस स्तर पर यह नहीं मान सकता कि वादीगण प्रदर्श 01 इकरारनामा में पक्षकार हो एवं उनको वादपत्र पेश करने का अधिकार हो।

16. यहां विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि प्रकरण के किसी भी प्रक्रम पर प्रतिवादी द्वारा ना ही जवाब दावा में एवं ना ही प्रतिवादी साक्ष्य में यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श 01 पर उसकी अंगूठा निशानी है। जहां प्रकरण का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज पर प्रतिवादी अपने अंगूठा निशानी को ही चुनौती दे रहा है तो एेसे में यह भार वादीगण पर आ जाता है कि वह यह अन्य साक्ष्य से साबित करें कि प्रदर्श 01 इकरारनामा वैध रूप से निष्पादित हुआ जिस पर प्रतिवादी की अंगूठा निशानी है। उपरोक्त के लिए वादीगण को इकरारनामा निष्पादिता के लिए प्रदर्श 01 में अंकित गवाहों को बुलाकर परीक्षित कराया जाना अनिवार्य था। साक्ष्य वादी में वादीगण द्वारा एेसा कोई गवाह परीक्षित नहीं कराया है जो प्रदर्श 01 में भी गवाह हो। यह गौरतलब है कि ना ही वादीगण द्वारा अर्जी नवीस स्टाम्प विक्रेता इत्यादि जैसे लोगों को परीक्षित कराया गया है जिससे वह प्रदर्श 01 की वैध रूप से निष्पादिता को साबित कर पाए। साक्ष्य वादी में पी डब्ल्यू 01 के रूप में पूरण एवं स्वयं को परीक्षित कराया है। उपरोक्त गवाह अपनी जिरह में यह कथन करता है कि "*यह कहना सही है कि मेरे पिता घीसा द्वारा उक्त आराजी का एग्रीमेंट किया था। पैसे लीला ने लिए थे आैर एग्रीमेंट पर अंगूठा निशानी भी किए थे...। पिताजी ने हमको जमीन खरीदने को कहा तो हमने जमीन खरीद ली...। हमारे द्वारा कोई नोटिस नहीं दिया गया है मुझे नोटिस की तारीख का पता नहीं है...। प्रश्न... उक्त इकरारनामा में लीला ना ही क्रेता है ना ही विक्रेता यह बात सही है। उत्तर- बेचने वाला हमारा बाप है, परंतु लीला अपने हिस्से की जमीन को हमको 32000 रूपये में बेच चुका है कब्जा हमारे पास है उसी दिन से।*" आगे पी डब्ल्यू 02 के रूप में मैना देवी को परीक्षित कराया गया है जो गवाह अपनी जिरह में यह कथन करती है कि "*मेरे पति द्वारा जमीन खरीदी गयी थी जो जमीन खरीदी गयी थी उसके क्या खसरा नंबर है मुझे पता नहीं...। जमीन खरीदी थी उस समय लिखायी पढाई मेरे ससुर ने करायी थी मुझ इस बात की जानकारी नहीं है कि जो जमीन मेरे पति खरीदी थी उस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर है अथवा नहीं। यह कहना सही है कि मेरे पति के द्वारा खरीदी गयी जमीन की लिखायी पढाई मेरे सामने नहीं हुयी...।*" इसके अतिरिक्त साक्ष्य वादी में पी डब्ल्यू 03 के रूप में रूकमणी देवी को परीक्षित कराया गया है जो अपनी जिरह में मुख्यतः यह कथन करती है कि "*एग्रीमेंट मेरे सामने ही लिखा गया था क्योंकि 18-19 साल की थी। एग्रीमेंट क्या लिखा था उसकी जानकारी नहीं है...। जो एग्रीमेंट घीसा के द्वारा लिखा गया था उस एग्रीमेंट में मेरे पिता व पूरण के हस्ताक्षर है अथवा नहीं उसकी मुझे जानकारी नहीं है...।*"

17. उपरोक्त अनुसार वादी द्वारा परीक्षित गवाह भी यह साबित करने में विफल रहे है कि पक्षकार के मध्य प्रदर्श 01 वैध रूप से निष्पादित हुआ हो। इसके अतिरिक्त वादी द्वारा कोई अन्य गवाह या प्रलेखीय साक्ष्य द्वारा उपरोक्त अनुसार साबित किया गया है।

18. यदि तार्किक रूप से मान भी लिया जाए कि पक्षकार के मध्य प्रदर्श 01 वैध रूप से निष्पादित हुआ था तब भी वादीगण को अपना दावा साबित करने के लिए यह साबित करना अनिवार्य था कि उनके द्वारा प्रदर्श 01 के संबंध में अपना भाग निभाने के लिए तत्पर एवं इच्छुक थे और आज भी है। प्रदर्श 01 के अनुसार मौके पर कब्जा वादीगण को संभला दिया गया था साथ ही प्रतिवादी लीला को 32000 रूपये भी अदा कर दिये थे। वादीगण की तत्परता और इच्छुकता के संबंध में उनके द्वारा यह साबित करना था कि उनके द्वारा प्रतिवादी लीला को 32000 रूपये अदा कर दिए, परंतु पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जैसे की रसीद इत्यादि। ना ही वादीगण द्वारा परीक्षित कराए गए गवाह ने यह कथन किए है जो राशि अदायगी के चकसुदर्शी साक्ष्य माने जाए। वादीगण द्वारा अन्य साक्ष्य भी उपरोक्त अनुसार राशि अदा करना साबित नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि वादीगण अपने वादपत्र में प्रतिवादीगण को जरिये अधिवक्ता दिनांकित 17-08-2013 को कानूनी नोटिस प्रेषित करने का कथन करते हैं। जिसके अनुसार प्रकरण में वाद हेतुक उत्पन्न हुआ है, परंतु उपरोक्त नोटिस को कहीं पर भी प्रदर्शित नहीं कराया गया है ऐसे में न्यायालय यह विश्वास नहीं कर सकता कि वादीगण द्वारा प्रदर्श 01 के संबंध में तत्पर व इच्छुक थे व आज भी है।

19. वादी के अनुसार इकरारनामा निष्पादित होने के पश्चात वह प्रतिवादी को बयनामा कराने के लिए मौखिक कथन करता रहा, परंतु उसके द्वारा बयनामा तकमील व तस्दीक नहीं कराया गया एवं टालमटोल करता रहा। जिस पर उसके द्वारा अपने वकील के जरिये एक विधिक नोटिस सन 2013 में दिया गया। धारा 16 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के तहत वादीगण को निरंतर तत्परता एवं इच्छा सिद्ध करनी होती है। हस्तगत प्रकरण में इकरारनामा की दिनांक सन 1991 से 2013 तक पक्षकार के मध्य कोई लिखित पत्राचार हुआ हो यह भी सिद्ध नहीं है। केवल मौखिक कथन के आधार पर एवं 2013 में भेजे गये कानूनी नोटिस के अभाव में वादी की निरंतर तत्परता सिद्ध नहीं होती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक दृष्टांत एन.पी.थिरूग ननम बनाम आर.जगमोहन राव (1995) एससी एवं के.एस. वैध्यनाधम बनाम वैरावन (1997)

एससी में भी यह मत प्रतिपादित किया है कि वादी द्वारा धारा 16 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के तहत निरंतर तत्परता एवं इच्छुकता साबित करनी होती है जो कि उपरोक्त विवेचन अनुसार वादीगण द्वारा नहीं की गयी है।

20. जहां तक तनकी संख्या 03 का प्रश्न है तो प्रतिवादी द्वारा अपने साक्ष्य में स्वयं को डी डब्ल्यू 01 के रूप में परीक्षित कराया है। उपरोक्त गवाह अपनी जिरह में मुख्यतः यह कथन करता है कि "*इकरारनामे के बाबत मुझे 32000 रूपये दिए थे यह कहना गलत है...। यह कहना गलत है कि पूरण के पक्ष में कोई इकरारनामा लिखा हो...। इकरारनामे के बी भाग पर जो अंगूठा निशानी है वो मेरी नहीं है वो फर्जी है...। यह कहना गलत है कि मैंने इकरारनामे पर अंगूठा निशा धन्ना, पदम व जगदीश के समक्ष लगायी हो...। यह कहना गलत है कि मैंने कोई इकरारनामा किया हो ना ही कोई 32000 रूपये प्राप्त किए ना ही मेरी अंगूठा निशानी है...।*" जहां गवाह उपरोक्त अनुसार कथन करता है तो उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन अनुसार न्यायालय इस निष्कर्ष पर आता है कि प्रदर्श 01 प्रतिवादी द्वारा तहरीर व तकमील नहीं करवाया गया है।

21. लिहाजा तनकी संख्या 01 वादीगण के विरुद्ध एवं प्रतिवादी के पक्ष में एवं तनकी संख्या 03 प्रतिवादी के विरुद्ध एवं वादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

22. विवाद्यक संख्या 02

आया वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है कि प्रतिवादी विवादित आराजी मुतजिकरा पैरा नंबर 1 अर्जीदावा वाके ग्राम बीजवाड, तहसील मालाखेडा, जिला अलवर को कही पर रहन, बैय व हिबा न करे और वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की रूकावट व मजाहमत न करे व इस आराजी पर जबरन कब्जा न करें ?

23. उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर है। चूंकि उपरोक्त विवेचन अनुसार वादीगण तनकी संख्या 01 साबित करने में असफल रहे हैं। तो ऐसे में कोनसीक्यूंसल अनुतोष के आधार पर प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। वादीगण विवादित जायदाद के संबंध में अपना स्वामित्व ही साबित कर पाए है, ना ही अपना वैध रूप से कब्जा साबित कर पाए है तो ऐसे में न्यायालय वादीगण को विरुद्ध प्रतिवादी स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी नहीं मानता है। अतः यह तनकी वादीगण के विरुद्ध एवं प्रतिवादी के पक्ष में तय की जाती है।

5. अनुतोष ?

चूंकि वादीगण तनकी संख्या 01 व 02 को साबित करने में असफल रहे हैं तथा प्रतिवादी तनकी संख्या 03 को साबित करने में असफल रहा है। एेसी स्थिति में वादी का वाद अस्वीकार कर खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

-ः: आदेश :ः-

24. परिणामतः वादीगण अपने वाद को साबित करने में असफल रहे है। ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादी अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। मुताबिक निर्णय पर्चा डिक्री मुर्तिब हो। वाद व्यय पक्षकारान स्वयं वहन करें।

(आरुष त्रिपाठी)
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट
मालाखेडा जिला अलवर

25. निर्णय आज दिनांक 29-04-2026 को मेरे द्वारा लिपिबद्ध करवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं मुद्रांकित किया जाकर विवृत्त न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

(आरुष त्रिपाठी)
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट
मालाखेडा जिला अलवर